न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 198/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्राथीगण
1. चोंपाराम पुत्र लालाराम 2. अर्जूनराम पुत्र लालाराम 3. जेतीदेवी पत्नि लालाराम जाति जाट निवासी हरीनगर सड़ा तहसील सिणधरी		1. रामचन्द पुत्र पदमाराम 2. डालूराम पुत्र पदमाराम 3. दौलाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी हरीनगर सड़ा तहसील सिणधरी 4. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थित–1. श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्राथीगर्ण की ओर से।

2.श्रीमति गीता चौधरी,वकील विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

3. पैरोकार सरकार उप.। शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक–27.08.2025

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 351/2 रकबा 2.5079 हैक्टयर ग्राम हरीनगर तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की [illegible] के बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी [illegible] से [illegible] खसरा संख्या 377/351 रकबा 2.4594 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए [illegible] उक्त खसरो में से च[illegible] कदीमी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 3 उक्त खसरा नम्बर 393 के चारो तरफ काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

तक आने जाने मे समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम हरीनगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 377/351 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड ए.डी.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्रीमति गीता चौधरी द्वारा जवाब पेश किया गया, ओर प्राप्त मौका रिपोर्ट का विरोध किया। शेष विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्र्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस की थी,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 351/2 रकबा 2.5079 हैक्टयर ग्राम हरीनगर तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवास ढाणी, टांका व मवेशियो के बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 3 की खसरा संख्या 377/351 रकबा 2.4594 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 3 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 3 उक्त खसरा नम्बर 393 के चारो तरफ काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोर्ट में प्रार्थी को रास्ता दिए जाने हेतु खसरा नम्बर 377/351 के प्रार्थी के परिशिष्ठ के विपरीत ही उसी खसरे की अन्य दिशा में प्र[...] गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रा[...]निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले खसरा नम्बर 377/351 के खातेदारान को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है। यदि अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

विकल्प के तौर पर निकटमत रूप से मार्ग दिलवाये जाने हेतु पक्षकारान संयोजित किये जाने की आवश्यकता के तौर पर उन्हें अनुमति प्रदान करावे।

4.इसके विपरीत वकील विप्राथीगण की बहस थी। कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो खारिज योग्य है। विप्रार्थी जो गरीब किसान है,उसको केवलमात्र परेशान करने की नियत एवं रंजिशवंश विप्रार्थी के खेत में रास्ता निकालने के लिए आवेदन पत्र पेश किया गया है। जिसमें कोई सारभूत तथ्यों में निहित नहीं है, आगे ओर कथन किया था,कि 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता निकालनें के लिए जो तथ्य एवं तर्क निहित होने चाहिए,जो प्रार्थी के आवेदन पत्र में निहित नहीं है। प्रस्तावित स्थान से अन्य स्थान पर प्रार्थी के खेत व सड़क बीच सबसे निकटतम दूरी होते हुए भी उसका हवाला पूर्व की मौका रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। प्रार्थी को आवागमन हेतु निकटतम रूप से खसरा संख्या 362/351 में विकल्प उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित स्थान पर विप्रार्थीगण की ढाणी, टांका बना हुआ है, ऐसी स्थिति में प्राप्त मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए खेत खसरा संख्या 362/351 में रास्ते हेतु नये सिरे से प्रकरण प्रस्तुत करे तथा प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।

5.हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों यथा मौका रिपोर्ट का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जरिये चाहे गये रास्ते के रूप में सलंग्न परिषिष्ठ के अनुसार तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट में उसके विपरीत अन्य सुलभ मार्ग की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपनी अभिशंषा को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की इस्तदुआ वर्तमान में आवेदन के विप्रार्थीगण के विरूद्व प्रमाणिकता के तौर पर सिद्व नही कर पाती है, ऐसी स्थिति में जब आवेदन के प्रकृति एवं प्रवृति में अन्तर होने की दशा में प्रथम दृष्टया यह उचित प्रतीत होता है, कि प्रार्थी अपने आवेदन में रास्ते के रूप में उसकी आवश्यकता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए अपना वाद संशेधित किये जाने का प्रावद्यान है, चूंकि प्रकरण में तथ्य एवं कानून की मंशा एवं निर्दिष्ट नियमावली के तहत रास्तें हेतु प्रस्तुत दावे का निपटारा विधिवत 90 दिन के भीतर– भीतर करना होता है, ऐसी स्थिति में जब तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उसी खसरे के प्रस्तावित की गई है, परन्तु उसकी दूरी बहुत अधिक है, [illegible] प्रार्थी की मूल इस्तदुआ के समीप ही लम्बवत रूप से अन्य खसरा नम्बर से [illegible] लिया जा सकता है, परन्तु इससे मूल इस्तदुआ में पूर्णतया परिवर्तन होगा, ऐसी स्थिति में मूल दावे कि समस्त कार्यवाही को शून्य से प्रारम्भ किया जाना [illegible] प्रतीत नहीं होता है। इसके लिए प्रार्थी वकील का दायित्व बनता है, कि वे अपने आवेदन के तथ्यों एवं राजस्व ईकाई द्वारा संकलित किये गये प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपने मांग एवं मंशा के अनुरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

निकटमत रूटचार्ट को ध्यान में रखते हुए आवागमन हेतु नया वाद दायर करे। जिसके लिए वह स्वतंत्र है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन जो कि चाही गई इस्तदुआ के उलट सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करने लायक होने से तथा म्याद अवधि 90 दिन व्यतीत होने से इसी वाद में सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से किया जाना विधिसम्मत एवं विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में निहीत नहीं होने से खारिज किया जाता है, कि प्रार्थी अपनी ओर से अपेक्षित पक्षकारों के विरूद्व नया आवेदन दायर करते हुए अपनी इस्तदुआ के तहत न्यायालय में चाराजोही करे।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner